राजस्व वाद 86/2023
जीसीएमएस नंबर–2023/90
अखाराम पुत्र मोहनराम बनाम् मोहनराम वगैरह

खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब एंव राजीनामा दिनांक 23.05.2022 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा नयागांव एवं आंवलियासर के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 अपने–अपने हिस्से की नियमानुसार सहखातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा नयागावं तहसील जायल में खेत खसरा नं. 25 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा नंबर 25/175 रकबा 0.6394 हैक्टेयर व मौजा आवंलियासर के खेत खसरा नंबर 39 रकबा 2.9542 हैक्टेयर , खेत खसरा नंबर 39/179 रकबा 4.0630 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 को प्रतिवादी संख्या 1 मोहनराम पुत्र रामकरण के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. मौजा नयागावं तहसील जायल में खेत खसरा नं. 25 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा नंबर 25/175 रकबा 0.6394 हैक्टेयर व मौजा आवंलियासर के खेत खसरा नंबर 39 रकबा 2.9542 हैक्टेयर , खेत खसरा नंबर 39/179 रकबा 4.0630 हैक्टेयर में वादी अखाराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 क्रमश भगवानाराम व रीता को प्रतिवादी संख्या 1 मोहनराम पुत्र रामकरण के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।
2. विवादग्रस्त खसरा में से कोई खसरा बैंक के रहन हो तो संबंधित बैंक को सूचित हो जो कि यथावत बैंक के रहन रहेंगें।

निर्णय आज दिनांक 24.7.23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner